प्र०सं० 38/25 UCN?- 2025/71

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने के कारण पेश हुई। प्रार्थी जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में पारित निणर्य दिनांक 13.11.2024 के क्रियान्व्यन आदेश भाग में अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ अप्रार्थी सं. 2 को भी राशि भुगतान किया जावे को जोड़ने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय लिपिकीय भूलवश संहवन से अप्रार्थी सं. 1 के आगे 2 लिखने से रह गया है को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1से4 की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया था। जिसमें अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति प्रकट की गयी थी। ऐसे में अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ अप्रार्थी सं. 2 को भी प्रार्थीगण से रास्ते में आई भूमि की एवज मुआवजा राशि दिलाया जाना है, परन्तु निर्णय में संहवन से अप्रार्थी सं. 2 का अंकन किया जाना रह गया है। इस संबंध में तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के पत्रांक/राजस्व/2024/970 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा भी अवगत करवाया जाकर मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः प्रकरण में दुरूस्ती किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण प्र.सं. 12/2022 में पारित निर्णय 13.11.2024 में दुरूस्ती करते हुए आदेश दिया जाता है कि निर्णय के अन्तिम पैरा "क्रियान्वन आदेश" की पंक्ति सं. 8 व 9 "श्रीविजयनगर को................को भुगतान" को निम्न प्रकार पढ़ा एवं लिखा समझा जावे : "श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितवद्ध अप्रार्थी सं. 1 व 2 को रास्ते में आई उनकी भूमि अनुसार प्रतिकर राशि में उनके हिस्सानुसार भुगतान" आदेश सुनाया गया। उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा भूमि बैंक के पक्ष में राहिन होने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिए जाते है कि न्यायालय आदेश की पालना में स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner